ग्रामीण महिला छात्रावास मुरलीपुरा, जयपुर

- 1. नाम व पता ग्रामीण महिला छात्रावास मुरलीपुरा, जयपुर संचालक संस्था राजस्थान जाट समाज संस्थान जयपुर
- 2. इतिहास जयपुर में जाट समाज के जागरुक समाजसेवकों द्वारा एक सहकारी संस्थान "राजस्थान जाट समाज संस्थान जयपुर" का गठन कर इसका सन् 1989 में रिजस्ट्रेशन करवाया गया। इस संस्थान द्वारा विद्याधर नगर स्कीम में 3000 वर्ग मीटर जमीन एवं मुरलीपुरा स्कीम में 700 वर्गमीटर जमीन खरीदी गई। इस संस्था द्वारा एक महिला छात्रावास चलाया जा रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है—

ग्रामीण महिला छात्रावास, मुरलीपुरा — मुरलीपुरा में स्थित जमीन पर समाज के व्यक्तियों से प्राप्त चन्दे से तीन मंजिला छात्रावास भवन संस्थान द्वारा तैयार किया गया, जिसमे 18 आवासीय कमरें, डायिनंग हॉल, किचन आदि बनाये गये है। इस छात्रावास का लोकार्पण माननीय अजय सिंह किलक सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा श्री बंशीधर बाजीया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 24.06.2018 को किया गया। इस छात्रावास की आवासीय क्षमता 50 बालिकाए है, जिसमें ग्रामीण परिवेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राए वास्तविक खर्च पर अध्ययनरत है।

3. कार्यकारिणी –

वर्तमान कार्यकारिणी -

- 1. अध्यक्ष श्री ताराचन्द सीगड
- 2. कोषाध्यक्ष श्री राजेन्द्र चौहान
- 3. महासचिव श्री जगमाल सिंह

राजस्थान जाट समाज संस्थान कार्यकारिणी 2021 - 2023

पदाधिकारी	नाम	रहीन नव्यव		नोबाई व
पद	-	चर	अतिकस	
STEED!	की चीचरी तारायन्द सीगढ	2331224	2337323	9829010754
CORZE	क्री भागीत्थ सिंह गहला		2231456	9829015915
GUMMAN	की महादेव सिंह पुनियी	2229211		90 14622299
क्रीचारमञ्ज	बी राजेन्द्र बीचरी			9829064551
महामधिव	बी जगमाल सित			MYSTER OF
सह राविष	श्री सुमाष बुगालिया			9829027196
सहसभिव	क्षी मनीष धीयवा			9623055191

कार्यकारिणी सदस्य

हारिणी र क्रमांक	नाम	घर	अधिकस	श्रीकाईल
*	बी बीचन्द सीगड	2330470		9829010470
-	श्री चासी राम पुनियाँ	2332544		9414943794
2	बी कर्नल पी. एस. महला	23201		9314933120
3	श्री रिक्रपाल बाटइ			9414458444
5	श्री होशीयार सिंह बुगालिया			8003190884
6	श्री मीर सिंह गजराज			9975082251
7	श्री बीरवल दुत			9314421506
•	श्री अनुप ठोलिया			9413339277
	श्री नकरंग चीचरी			9413344637
10	श्री सुखराम सुवेदार मेजर	2252464		9783304454
11	श्री नरेन्द्र महला			9351510010
12	श्री ताराचन्द खीचड			9828020228
13	श्री हरिनारायण गठाला			9414049210
14	श्री राजेन्द्र गजराज		2331143	9829065521
15	श्री ओमप्रकाश पुनियाँ	2231434	5175782	9414054150
16	श्री बन्नालाल कुडी			9314073314
17	श्री श्रवण कोठारी	2332433		9928310200

विशेष आमंत्रित सदस्य

डमांक	भाम	घर	ऑफिस	मोबाई ल
1	बी सुरजाराम गील			9829010221
2	बी सुरेश सीगढ	2331370		9829013935
3	बी मोहन लाल डागर			9829050324
4	भी वी एस सुण्डा			9413339977
5	श्री ईस्वर सिंह दुरहक			9314422530
6	श्री वांगीलाल चौघरी			9828125682
7	बी डॉ सुनिल गर्सा			5003919000
	श्री रिखपाल जाखरू			9829062984
	बी गीतम मास्कर			9829250759
10	बी मदन बाजिया			9414594401
11	डी कमला चीधरी			9928086699
12	भी सुरेन्द्र आक्रिया			9414057521
13	नोतीशम बाजिया			9429558538

राजस्थान जाट समाज संस्थान

(ग्रामीण महिला छात्रावास परिसर)

बालिका छात्रावास







प्रिय माननीय बन्धुओं,

राजस्थान जाट समाज संस्थान समाज के उत्कर्ष एवं उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित एवं सतत् प्रयत्नशील संगठन है। ये एक सामाजिक संस्था है।

इस संगठन ने समाज के लोगों को नजदीक लाने, परस्पर प्रेम भावना पैदा करने एवं एक दूसरे की मद्द करने के अद्वेय भूमिका निभाई है। ग्रामीण परिवेश की बालिकायें जयपुर में अध्ययन के लिए आती है उन्हें आवास के लिए भारी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान जाट समाज संस्थान द्वारा अपने परिसर में ग्रामीण महिला छात्रावास का निर्माण करवाया है।

इसक मुख्य ध्येय :- महिला शिक्षा ज्ञानवर्द्धन प्रगति एवं उत्थान।

गरीब मजदूर व किसान वर्ग के अशिक्षा के कारण व्याप्त अंधकार दूर कर ग्रामीण छात्राओं का सहयोग कर शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है।

इस छात्रावास के सुरक्षा की सकुचित व्यवस्था की गई है आधुनिकी तकनीकी CCTV कैमरे लगे हुए है। व छात्राओं का घर जैसा माहोल मिलेगा।

नारी शिक्षा प्रकाश-पुँज है, जिसे जन-भागीदार से ही प्रज्जवलित किया जा सकता है अतः जन भागीदारी व सहयोग प्रार्थनीय है।

धन्यवाद!

चौ. ताराचन्द सीगइ आध्यक्ष 9829010734

राजेन्द्र चौधरी कोबाध्यक्ष 9829064551

जगमाल सिंह महासचिव 9829230202

विवरणिका

- परिचय: समाज व देश का विकास व उत्थान शिक्षा पर आधारित है जिसमें महिला शिक्षा की
 महती आवश्यकता है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए जातिय
 छात्रावास बना रखे हैं परन्तु अभी तक किसी जाट समाज की ग्रामीण महिला छात्राओं के लिए
 किसी भी वर्ग या जाति ने ग्रामीण महिला छात्रावास नहीं बना रखे हैं जिसकी कमी पूर्ति के लिए
 "राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास" की स्थापना व शिलान्यास 24 जून
 2018 में की गई जिसके अन्तिगत महिला 2 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं युक्त तैयार हैं।
- गार्ड व वार्डन का आधुनिक आवास पुर्णकर उसमें आवास कर रहे हैं। जयपुर न केवल राजस्थान की राजधानी हैं बल्कि शिक्षा का प्रमुख केन्द्र हैं।
- महिलाओं के आवास के लिए यह जो छात्रावास राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास के नाम "राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास" रहेगा।
- 4. यह छात्रावास जयपुर रेल्वे स्टेशन से 6 कि.मी. बस स्टेण्ड से 6 कि.मी. उत्तर पश्चिम वी.के.आई., रोड नं. 2, मुस्लीपुरा में स्थित है तथा पंजीकृत संस्था संख्या रिजस्ट्रेशन नं. 451/89-90 के परिसर में स्थित हैं इस छात्रावास से शहर के सभी प्रमुख महाविद्यालयों एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए सिटी बस आवागमन के साधन हैं।
- प्रबन्ध : छात्रावास का संचालन का सम्पूर्ण दायित्व "राजस्थान जाट समाज संस्था" की प्रबंध समिति का होगा व प्रशासनिक निमंत्रण की प्रबंध समिति का रहेगा।
- उपसमिति का गठन : ग्रामीण महिला छात्रावास के सम्पूर्ण प्रबंध के लिए राजस्थान जाट समाज के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संस्थान के सदस्यों में से सात व्यक्तियों की एवं प्रबंध समिति गठित की गई हैं।
- 7. प्रवेश हेतु पात्रता : जयपुर शहर से बाहर निवास करने वाली ऐसी जाट समाज की छात्राएँ (महिलायें) जिन्होनें जयपुर के किसी महाविद्यालय में अथवा अन्य किसी तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पा लिया हो, इस छात्रावास में प्रवेश पाने की पात्र होंगी। वरीयता (क) पहले आओ पहले पाओ 15 सीट
 - (ख) 25 सीटे मैरिट के आधार पर

नोट : स्वतंत्रता सेनानी परिवारों तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए शहीद हुये वीर सुपुत्रों के परिवारों से सम्बन्धित छात्राओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी।

आर. जे. एस. एस. ग्रामीण महिला छात्रावास

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम :-

- छात्रावास का संचालन राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत होगा।
- 2. छात्रावास के संचालन हेतु राजस्थान जाट समाज संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा मैनेजर, वार्डन, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की जावेगी। सामाजिक संस्था में मैनेजर छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारियों आशा के अनुरूप समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे है। इनको वेतन न देकर संस्था की ओर मानदेय (Honorisum) दिया जावेगा। शेष, वार्डन, रसोईयाँ, चौकीदार, सफाई कर्मचारी रखे जावेंगे। वे सभी दैनिक वेतन भोगी अथवा निर्धारित कार्य व श्रम के अनुसार नियमों का पालन करते हुए जो भी कार्य बतलाया जावेगा वो करने के उत्तरदायी होंगे। तथा निर्धारित कार्य व क्रम के अनुसार पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे और छात्रावास के अनुसार नियमों का पालन करते हुये जो भी कार्य बतलाया जावेगा वो करने के उत्तरदायी होंगे। ये सभी कर्मचारी अस्थाई रूप से संतोषजनक कार्य करने तक ही रखे जावेंगे।
- कर्मचारियों का अवकाश संस्था के मैनेजर द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। छात्रायें वार्डन के निर्देशन में छात्रावास नियमों का पालन करते हुए आवास करेंगी।
- छात्रावास वार्डन राजस्थान जाट समाज संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत अधिकारों एवं शक्तियों तथा समय-समय पर प्राप्त करने वाले निर्देशों के अधीन छात्रावास की व्यवस्था करेगी।
- 5. छात्रावास के नियमों व उपनियमों की अनुपालना में अध्यक्ष एवं मैनेजर का निर्णय मान्य होगा तथा कार्यकारिणी विशेष कारणों से सुनवाई कर उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करने अथवा निरस्त करने के लिये सक्षम होगी।

छात्रावास में प्रवेश-पात्रता :-

 प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवेशार्थी छात्रा को निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा! जिसमें माता-पिता व भाई व अन्य अभिभावक जो मिलने आवेंगे उनके नाम अंकित किये जावेंगे व फोटो भी लगाई जावेगी। यह प्रवेश-पत्र छात्रावास कार्यालय से जमा करवा कर स्वयं अथवा डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

- छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्राओं के लिए प्रात्रता विवरणिका में उल्लेख के अनुसार रहेगी।
 ग्रामीण आंचल की छात्राओं को ही प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।
- आवेदन पत्र अपूर्ण पाये जाने एवं वांछित सूचना न दिये जाने या किसी तथ्य को छुपाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द कर दिया जावेगा।
- छात्रावास शुल्क निम्न प्रकार से जमा कराना होगा
 जुलाई+अगस्त+सितम्बर+अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर
 10500/-

जनवरी+फरवरी+मार्च+अप्रेल+मई+जून 10500/- 10500/-

जमा कराने होगे। तथा 2000/- प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। उनमें से प्रतिभूति राशि छात्रा के छात्रावास छोड़ने पर वापिस लौटा दी जायेगी।

- 5. छात्रावास नियमों का उल्लंधन करने, वार्डन के आदेशों की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीन पाये जाने पर छात्रा को छात्रावास में आवास सुविधा से वंचित कर दिया जावेगा तथा प्राप्त शुक्क वापस नहीं लौटाया जावेगा।
- छात्रावास शुल्क जामा कराने पर ही प्रवेश पूर्ण समझा जावेगा।
- आवास व्यवस्था : प्रत्येक कमरे में तीन छात्राओं के लिए आवास व्यवस्था है। कमरो का आवंटन मैनेजर द्वारा किया जायेगा जो उनकी अनुमित के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- 8. आचार य्यवहार : छात्रावास प्रबन्धन का सदैव ही यह प्रयास रहेगा कि यहाँ आवास कर रही प्रत्येक छात्रा को घर का सा वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध करवाई जाऐं जिससे वे पूरे मनोयोग एवं गम्भीरता से अध्ययनरत रह सकें।

प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षा है कि -

- (क) यह अपने-अपने कमरे को पूरा व्यवस्थित एवं स्वच्छ रखें।
- (ख) छात्रावास परिसर में किसी प्रकार की गंदगी न फैलायें।
- (ग) शोर हा-हल्ला करके अथवा अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों की शांति भंग न करें।
- (घ) छात्रावास के नियमों व प्रबन्धन अथवा वार्डन के निर्देशों का पालन करें।

- दुराचरण : किसी भी छात्रा द्वारा निम्न प्रकार का कृत्य दुराचरण माना जाएगा।-
 - (1) झगडा करना अथवा मार-पीट करना।
 - (2) भात्रावास की चल अथवा अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
 - (3) चोरी करना इत्यादि।
 - (4) नियम विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त होना।
 - (5) वार्डन अथवा कर्मचारियों से दुव्यर्वहार करना।
 - (6) अवांछित लोगों से मिलना।
 - (7) नशा की वस्तुएँ जैसे शराब, गाँजा, सिगरेट, तम्बाकू आदि रखना।
 - (8) गाली-गलौच करना, अश्लील हरकत करना अथवा अश्लील साहित्य, सी.डी., वी.सी.डी. रखना।

किसी भी प्रकार के दुराचरण की दोषी पाये जाने पर छात्रा को उचित रूप से दण्डित किया जाएगा अथवा छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

10. रात्री के समय छात्रावास में रहने की अनिवार्यता :- प्रत्येक छात्रा के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूर्यास्त से पूर्व छात्रावास में प्रवेश कर जाए एवं सूर्यादय से पूर्व छात्रावास से बाहर न जाए। वार्डन की पूर्णानुमित से ही इनमें छूट दी जा सकती है।

छात्राओं के लिए पालनीय नियम :-

- प्रत्येक छात्रा अपना (बेडसीट, तकिया, रजाई) बिस्तर साथ लायेगी।
- प्रत्येक छात्रा को छात्रावास की सहकारी मैस में ही भोजन करना होगा।
- छात्रावास में प्रवेश एक शिक्षण सत्र के लिए होगा तथा परीक्षा समाप्ति पर प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्रा को छात्रावास खाली करना होगा।
- प्रत्येक छात्रा के लिए वार्डन द्वारा निर्धारित समय पर रोज सायं प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। जिसमें उपस्थिति दर्ज की जावेगी।
- 5. छात्रा का दायित्व होगा कि वह छात्रा के किसी भी सामान उपकरणों एवं साज-सज्जा को किसी प्रकार की क्षित न पहुँचाये। यदि ऐसा किया गया तो उस पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। छात्रा को इसकी क्षितपूर्ति करनी होगी तथा उसे छात्रावास की आवास सुविधा से वंचित किया जा सकेगा।

5/8

- 14. अभिभावको व आवन्तुको से विलना
 - (क) पाता-चिता एवं प्रवेश प्रार्थना चन में बिन्हित सम्बन्धियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्राचा से मिलने की अनुपति देने का वार्डन को अधिकार होगा। पिलने का दिन प्रत्येक तीवेवार प्रांत 8.00 बजे से साथ 17.00 (5) बजे तक होगा।
 - (स) किसी भी अधिभावक व आगन्तुक को छात्रा के कमरे या छात्रावास परिसर में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा।
 - (ग) छात्रा से मुलाकात की अनुमति निर्धारित समय में ही दी जाएगी।
 - (u) मुलाकात केवल आगन्तु कक्ष में ही करवाई जायेगी।
 - (ठ) बीमारी अथवा अत्यन्त आवश्यक होने पर छात्रा के किसी अधिभावक को किसी सम्पर्क सूत्र से सुचित किया जाता है। प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अंकित किया जावे।

छात्रावास शुल्क :

- (1) छात्रावास में एडिमशन लेने वाली प्रत्येक छात्रा को 2000/-रूपये प्रतिभृति शुल्क (Refundable) जमा करवाना होगा। जो कि छात्रा के छात्रावास छोड़ने के बाद वापिस लौटा दिया जावेगा।
- (2) प्रत्येक छात्रा को तीन माह का 10500/- रूपये अग्रिम जमा करवाना होगा। तथा शेष किस्त भी इसी तरह शेष तीन-तीन माह की किस्त जमा करवानी होगी।

छात्रावास में छात्राओं केउचित आवास की उचित व्यवस्था प्रबन्धन एवं अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए समस्त अभिभावकों एवं छात्रावास के सदस्य महानुभावों से सुझाव व सहयोग वांछनीय है।

चौ. तारावन्द सीमइ अध्यक्ष 9829010734 राजेन्द्र चौधरी कोषाध्यक्ष 9829064551

जगमाल सिंह महासचिव 9829230202

- छात्रा का कर्त्तव्य होगा कि वह छात्रावास में कोई भी कमी या बुटि पाये तो तत्काल उसकी सूचना छात्रावास वार्डन को दे।
- अध्ययन, खेल-कूद, भोजन एवं अन्य दैनिक कार्य वार्डन द्वारा निर्धारित समय में निर्धारित विधि से सम्पादित करना छात्रा के लिए आवश्यक होगा।
- 8. छात्रा के प्रवेश आवेदन-पत्र में अंकित मिलने वाले व्यक्ति को प्रवेश के समय ही मैनेजर द्वारा फोटो युक्त परिचय-पत्र प्रमाणित करवाने होंगे तथा फोटो परिचय-पत्र के अभाव में उन्हें छात्रा से मिलने की अनुमित नहीं दी जावेगी।
- छुट्टी पर जाने वाली प्रत्येक छात्रा, जितनी अविध के लिए घर जा रही है, उनकी सूचना लिखित में वार्डन के द्वारा मैनेजर को देगी जिसकी पुष्टि अभिभावक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की जिम्मेदारी पर घर जा सकेगी।
- सामान्यतया छात्राओं को हर रिववार को प्रातः 9 बजे से सायं 16.00 बजे (4) तक अपने अभिभावको या प्राधिकृत व्यक्तियों से मिलने की स्वीकृति मिल सकेगी।
- अति आवश्यक होने पर छात्रायें वार्डन के साथ बाजार, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस,
 बैंक आदि जा सकेगी।
- 12. छात्रावास में आवास करने वाली छात्रा के जहाँ वह अध्ययनरत हैं :-
 - (i) वहाँ से एक माह तक अनुपस्थित रहने पर।
 - (ii) फैल होने पर।
 - (iii) नौकरी करने पर उसका प्रवेश रद्द हो जावेगा तथा पन्द्रह दिन की अविध में छात्रावास खाली करना पड़ेगा।
- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की उपस्थिति सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से प्रतिमाह, वार्डन द्वारा मंगवायी जावेगी एवं अनुपस्थित पाई जाने वाली छात्राओं के विरूद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रहेंगे:-
 - किसी भी छात्रा को अपने साथ पंखा, हीटर, कूलर, कैमरा, बिजली की राड आदि सामान लाने एवं रखने की अनुमित नहीं होगी।

- छात्रायें नाक व कान के सामान्य गहनों के अलवा मूल्यवान आभूषण एवं 1000/ रूपये से अधिक नकद घनराशि अपने पास नहीं रख सकेगी।
- छात्रावें परस्पर किसी प्रकार का मैट्रिक लेन-देन नहीं करेगी।
- किसी भी छात्रा को कगरे में एफ.एम., रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर, वी.सी.पी., बी.सी.आर. आदि रखने की अनुमित नहीं होगी।
- कपरे में कोई भी छात्रा घाय, नाश्ता, खाना आदि नहीं बना सकेंगी।
- वार्डन की स्वीकृति के बिना छात्रायें अभिभावकों या अधिकृत व्यक्तियों से नहीं मिल सकेगी।
- छात्रादास में छात्राओं के अभिभावकों, प्राधिकृत व्यक्तियों एवं अतिथियों को ठहरने की कोई अनुमति नहीं रहेगी।
- विद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण समय के अतिरिक्त समय में किसी भी छात्रा को छात्रावास से बाहर रहने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- शिक्षण संस्थान में होने वाले लम्बे अवकाशों में ही छात्रा को अभिभावक/प्राधिकृत व्यक्ति के साथ अथवा उनकी लिखित जिम्मेदारी पर ही घर जाने की अनुमित मिल सकेगी।
- इन अवकाशों के अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में ही वार्डन एवं मैनेजर सन्तुष्ट होने पर ही छात्रा को घर जाने की विशेष अनुमित प्रदान कर सकते है।
- 12. अदेयता प्रमाण-पत्र (NO DUES CERTIFICATE)

छात्रावास में रहने वाली प्रत्येक छात्रा को छात्रावास छोड़ने पर छात्रावास के समस्त शुल्क, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, गद्दा आदि जमा करवाकर जो छात्रावास से मिला हैं व्यवस्थित कर वार्डन से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

13. उक्त नियमों –उपनियमों / प्रतिबन्धों से छात्राओं व अभिभावक पूर्णतया आबद्ध रहेंगे। उक्त वर्णित नियमों के अतिरिक्त भी छात्रावास के सुचारू संघालन हेतु वार्डन व मैनेजर द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की छात्रा व अभिभावक को पूर्ण पालन करनी होगी।